उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-177/2019/2447/92-2-2019-93(जॉच)/2017,
लखनऊ :: दिनांक:: 25 नवम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-सोनभद्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-यू0पी0 67104 सम्पर्क मार्ग रामगढ़ से कुराकला का निर्माण कार्य डी0पी0आर0 के प्राविधान से हटकर कराये जाने तथा परिवर्तित एलाइमेंट के मार्ग के निर्माण हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं प्राप्त करने, पैकेज संख्या-यूपी-67103 सम्पर्क मार्ग आसनडीह से सांगसोती के निर्माण कार्य में बिना निर्गत माप पुस्तिका में मापांकन करने तथा क्यू0सी0आर0 रजिस्टर पार्ट-2 कार्यालय में जमा न करने एवं पैकेज संख्या-यूपी-67116 आर0एस0 रोड से असनहरा मार्ग के निर्माण कार्य में मापी चेक न करने, अधोमानक कार्य कराने, पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वाहन न करने आदि अनियमितताओं के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1007/2018/92-2-2018-93(जॉच) /2017, दिनांक 26.04.2018 द्वारा श्री राधे श्याम सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-सोनभद्र सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-सोनभद्र को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-160/एस0टी0 /ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-सोनभद्र/ 2017-18, दिनांक 22.05.2018 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-87/2018/1519/92-2-2018-93(जॉच)/2017, दिनांक 11.07.2018 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुए मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के स्थान पर मुख्य अभियन्ता (पूर्वी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। पुन: जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पूर्वी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-1069/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/एस0टी0-120 पार्ट-2/18-19, दिनांक 18.01.2019 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-39/2019/494/92-2-19-93जांच/2017, दिनांक 26.02.2019 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुए मुख्य अभियन्ता (पूर्वी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के स्थान पर श्री एस0एन0 पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल वाराणसी को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/श्री एस0एन0 पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल वाराणसी के पत्र सं0-1749/ग्रा0अ0वि0/जांच/2018-19, दिनांक 01.03.2019 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की प्रारम्भिक जांच में उनके सम्मिलित होने का उल्लेख करते हुये जांच अधिकारी पविर्तित किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-66/2019/893/92-2-2019-93(जांच)/2017, दिनांक 24.04.2019 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुए श्री एस0एन0 पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल वाराणसी के स्थान पर श्री एम0एम0 हुसैन, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.09.2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल-4 आरोपों को जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना मे अपचारी अधिकारी श्री राधे श्याम सिंह के बचाव उत्तर के सापेक्ष प्रमाणित नहीं पाया गया। अत: जांच

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1007/2018/92-2-2018-93(जांच)/2017, दिनांक 26.04.2018 द्वारा श्री राधे श्याम सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-सोनभद्र सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर उन्हें दोषमुक्त करते हुए दण्ड रहित समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-177/2019/2447(1)/92-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल लखनऊ ।
3- श्री राधे श्याम सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-सोनभद्र सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।